



BHARTI VISHWAVIDYALAYA, DURG

भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग

Approved By: - University Grants Commission (UGC), New Delhi

Run By: - Holistic Foundation, Durg

Mob. No.- 6232221101/ 02/ 03 www.bhartiuniversity.org

E-mail- bhartiuniversity.in@gmail.com, CHANDKHURI, DURG, CHHATTISGARH, 491001

RefNo - BV/2024/1282

Date - 25/11/2024

// अधिसूचना //

भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 24 एवं भारती विश्वविद्यालय के परिनियम कं 9 में निहित प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक परिषद् का पुर्नगठन करते हुए निम्नानुसार सदस्यों का मनोनयन किया जाता है:-

अधिनियम एवं प्रावधान		नाम एवं पता
धारा 24 (2)	कुलपति-अध्यक्ष	डॉ. बी. एन. तिवारी
धारा 24 (1)(बी)	तीन संकायाध्यक्ष	1. डॉ. अजय सिंह, डीन कला एवं मानविकी संकाय 2. डॉ. गिरिजा शंकर पटेल, डीन लाइब्रेरी एण्ड इनफॉर्मेशन साइंस 3. डॉ. प्रतिभा कुरूप, डीन फिजिकल साइंस
धारा 24 (1)(सी)	तीन विभागाध्यक्ष	1. डॉ. शोभा सिंह ठाकुर, विभागाध्यक्ष विधि संकाय 2. डॉ. एस. के. ताम्रकार, विभागाध्यक्ष इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी 3. डॉ. काजोल दत्ता, विभागाध्यक्ष वाणिज्य एवं प्रबंधन
धारा 24 (1)(डी)	अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल	जिनका मामला अकादमिक परिषद में सूचीबद्ध हो।
धारा 24 (1)(ई)	चार शिक्षाविद्	ख्यातिलब्ध (विश्वविद्यालय से संबंधित न हो) चार शिक्षाविद् जिनमें दो कुलाधिपति व दो कुलपति द्वारा नामित। 1. डॉ. जगजीत कौर सलुजा, नियंत्रक परीक्षा एवं विभागाध्यक्ष भौतिक शास्त्र विभाग, शासकीय वी. वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 2. डॉ. दिव्या देशपांडे, विभागाध्यक्ष संस्कृत

		विभाग, शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगाँव 3. प्रो. आई. डी. तिवारी, पूर्व कुलसचिव, इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़ 4. प्रो. के. के. साहू, बायोटेक्नालॉजी विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
धारा 24 (1)(एफ)	दो ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक अथवा उद्योगों के विशेषज्ञ	कुलाधिपति द्वारा नामित 1. श्री अजय पांडे, महाप्रबंधक वित्त, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई 2. डॉ. अमित दुबे, सीनियर साइंटिस्ट, छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर
धारा 24 (1)(जी)	कुलसचिव-सदस्य सचिव	डॉ. वीरेन्द्र कुमार स्वर्णकार

उपर्युक्त माननीय सदस्यों की कार्यवाही छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 24 में उल्लेखित प्रावधानानुसार रहेगी जो कि अधिनियम जारी दिनांक 25.11.2024 से 3 वर्ष तक होगी।

प्रतिलिपि—

1. माननीय कुलाधिपति के निज सचिव।
2. माननीय कुलपति के निज सचिव।
3. कुलसचिव के निज सहायक।
4. सभी सदस्य।
5. आदेश फोल्डर।


कुलसचिव
कुलसचिव
भारती विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)



BHARTI VISHWAVIDYALAYA, DURG

भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग

Approved By: - University Grants Commission (UGC), New Delhi

Run By: - Holistic Foundation, Durg

Mob. No.- 6232221101/ 02/ 03 www.bhartiuniversity.org

E-mail- bhartiuniversity.in@gmail.com, CHANDKHURI, DURG, CHHATTISGARH, 491001

RefNo - BV/2024/1321

Date - 07/12/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 23 एवं भारती विश्वविद्यालय के परिनियम कं 8 में निहित प्रावधानों के अनुसार माननीय कुलपति, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा प्रबंध मण्डल का पुर्नगठन किया जाता है।

1. कुलपति-अध्यक्ष:-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	प्रो. बी. एन. तिवारी	कुलपति, अध्यक्ष, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग।

2. प्रायोजक निकाय द्वारा नामित दो प्रतिनिधि के नाम निम्न है:-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	डॉ. अनिल दुबे	प्राचार्य, भारतीया कृषि महाविद्यालय, दुर्ग।
2.	डॉ. मानस रंजन होता	प्राचार्य, भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, दुर्ग।

3. राज्य शासन द्वारा नामित दो प्रतिनिधि के नाम निम्न है:-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	रिक्त	
2.	रिक्त	

4. वरिष्ठ प्राध्यापक:-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	डॉ. आलोक भट्ट	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय।
2.	प्रो. एल. पी. भैया	अधिष्ठाता, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संकाय।

5. दो उच्च वरिष्ठ प्राध्यापक चक्रीय क्रम में:-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	डॉ. विजेन्द्र सूर्यवंशी	विभागाध्यक्ष फार्मसी
2.	डॉ. निमिषा मिश्रा	सहा. प्राध्यापक विधि संकाय

उपर्युक्त मानीय सदस्यों की कार्यवाही छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धार 23 में उल्लेखित प्रावधानानुसार रहेगी जो कि अधिनियम जारी दिनांक 16.12.2024 से 3 वर्ष तक होगी।



कुलसचिव
कुलराशिद
भारती विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

प्रतिलिपि—

1. माननीय कुलाधिपती के निज सचिव।
2. माननीय कुलपती के निज सचिव।
3. कुलसचिव के निज सहायक।
4. सभी सदस्य।
5. आदेश फोल्डर।



BHARTI VISHWAVIDYALAYA, DURG

भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग

Approved By: - University Grants Commission (UGC), New Delhi

Run By: - Holistic Foundation, Durg

Mob. No.- 6232221101/ 02/ 03 www.bhartiuniversity.org

E-mail- bhartiuniversity.in@gmail.com, CHANDKHURI, DURG, CHHATTISGARH, 491001

Ref No - BV/2024/1322

Date - 07/12/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 22 एवं भारती विश्वविद्यालय के परिनियम कं 7 में निहित प्रावधानों के अनुसार माननीय कुलाधिपति, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा शासी निकाय का पुर्नगठन किया गया है जिसमें निम्न सदस्य हैं:-

1. कुलाधिपति-अध्यक्ष:-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	श्री सुशील चन्द्राकर	कुलाधिपति/अध्यक्ष, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग।
2.	प्रो. बी. एन. तिवारी	कुलपति, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग।

2. प्रायोजक निकाय द्वारा नामित तीन ख्याति प्राप्त व्यक्ति के नाम निम्न हैं:-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	डॉ. राजेश पाण्डेय	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तर, दुर्ग।
2.	डॉ. सुशील चंद्र तिवारी	पूर्व अतिरिक्त संचालक उच्चशिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग।
3.	डॉ. एच.पी. सिंह सलूजा	प्रोफेसर, विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग।

3. राज्य शासन द्वारा नामित तीन ख्याति प्राप्त व्यक्ति के नाम निम्न हैं:-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	रिक्त	
2.	रिक्त	
3.	रिक्त	

4. राज्य शासन द्वारा नामांकित शासन के प्रतिनिधि जा उपसचिव के स्तर के नीचे न हो :-

क्रमांक	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, छ. ग. रायपुर

उपर्युक्त मानीय सदस्यो की कार्यवाही छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धार 22 में उल्लेखित प्रावधानानुसार रहेगी जो कि अधिनियम जारी दिनांक 10.12.2024 से 3 वर्ष तक होगी।

प्रतिलिपि—

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाध्यक्षा के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर,
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
4. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर,
5. आदेश फोल्डर।


कुलासचिव
कुलसचिव
भारती विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

-- 0 --
// आदेश //

07 APR 2025

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /03/2025

क्रमांक एफ 9-2/2022/38-2 : राज्य शासन, एतद् द्वारा भारती विश्वविद्यालय, ग्रान-चंद्रपुर, जिला-दुर्ग के प्रबंध मण्डल में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 23(1) की उपधारा (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न सदस्यों को शासन का प्रतिनिधि नामांकित करता है:-

1. डॉ. ज्ञानेन्द्र शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बारगांव, रायपुर।
2. डॉ. सुरेश कुमार पटेल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दिग्विज महाविद्यालय, राजनांदगांव

2/ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 21(2) के अधीन नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 03 वर्षों का होगा।

3/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(धनंजय नेताम)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /03/2025

07 APR 2025

पृ.क्र. एफ 9-2/2022/38-2
प्रतिलिपि:-

01. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़,
02. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़,
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़,
04. डॉ. ज्ञानेन्द्र शुक्ला, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बारगांव, रायपुर
05. डॉ. सुरेश कुमार पटेल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दिग्विज महाविद्यालय, राजनांदगांव,
06. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़,
07. कुलसचिव, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
08. आदेश फोल्डर

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग